

334

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

R 623- II - 17

9-2-17

9-2-17

मनोज कुमार मिश्रा तनय श्री बृजकिशोर मिश्रा निवासी बेलौहन टोला बिछिया

रीवा म०प्र०

-----आवेदक

बनाम

1. रमेश प्रसाद पाठक पिता स्व० जगदीश प्रसाद पाठक
 2. सुरेश प्रसाद पाठक पिता स्व० जगदीश प्रसाद पाठक
- निवासीगण ग्राम खड्डा तहसील गुढ़ जिला रीवा म०प्र०
3. रवि श्रीवास्तव तहसीलदार, तहसील गुढ़ जिला रीवा म०प्र०

-----अन्वयेकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू
राजस्व संहिता 1959ई० बिरुद्ध आदेश
तहसीलदार तहसील गुढ़ जिला रीवा म०प्र०
के प्रकरण क्रमांक 40/अ-6/2015-16
आदेश दिनांक 10.01.17 एवं अनुविभागीय
अधिकारी के प्रकरण क्रमांक
41/अ-6/2010-11 मे पारित आदेश
दिनांक 12.08.16

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

1. अधीनस्थ न्यायालयों के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 10.01.17 एवं 12.

08.16 सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों के
प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

- 2 -

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-623-दो/2017

जिला रीवा

मनोज विरूद्ध रमेश प्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार गुढ़, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 40/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 10-01-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 09-05-2019 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p style="text-align: center;"><i>hyan</i> (आर.के. जैन) सदस्य</p> <p style="text-align: right;">12-3-19</p>